

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जिला परियोजना समन्वयक जिला झालावाड (एडीपीसी) के अति. जिला परियोजना समन्वयक को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- थाना मण्डावर जिला दौसा के हैड कानि0 को 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आरोपीगण के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 19 नवम्बर/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारियों पर रखी जा रही सतत निगरानी में आज गुरुवार को दो अलग-अलग कार्यवाहियां करते हुये एसीबी की कोटा देहात इकाई द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला झालावाड (एडीपीसी) के अति. जिला परियोजना समन्वयक दीपक वर्मा को 40 हजार रुपये तथा थाना मण्डावर जिला दौसा के चतरू राम हैड कानि0 को 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना में जीएसएसएस सलोतिया में बिल्डिंग निर्माण कार्य कुल लागत लगभग 37 लाख रुपये का कार्य किया गया था। उक्त कार्य के 22 लाख के बिल पास कराने की एवज में शिक्षा विभाग झालावाड के एडीपीसी, वरिष्ठ सहायक एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा कुल राशि के 2 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 44 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जाकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा देहात इकाई की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत द्वारा मांग का सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये जिला परियोजना समन्वयक जिला झालावाड (एडीपीसी) के अति. जिला परियोजना समन्वयक दीपक वर्मा पुत्र श्री घनश्याम नि. 40 साकेत नगर झालावाड को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अन्य दोनों अधिकारियों की भूमिका के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

साथ ही एसीबी महानिदेशक श्री सोनी ने बताया कि एक अन्य कार्यवाही में एसीबी की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि पुलिस थाना मण्डावर पर दर्ज प्रकरण में राजीनामा करवाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी चतरू राम हैड कानि0 थाना मण्डावर द्वारा 3 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जाकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी दौसा इकाई के पुलिस निरीक्षक श्री विजय सिंह द्वारा मांग का सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये थाना मण्डावर जिला दौसा के चतरू राम हैड कानि0 पुत्र श्री मन्नूराम नि0 ग्राम पथैना भुसावर भरतपुर को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन एसीबी टीमों द्वारा आरोपियों से पूछताछ एवं उसके आवास तथा अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।